कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–प्रारं / शि.प्र. / 4443 / मुसयो / 17 / / दिनांक 24/10/17

संस्था प्रधान,
निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाऐं (बीएसटीसी / डीएलएड)
समस्त

प्रसंगः–विधवा / परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत शुल्क पुनर्भरण के संबध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कम में "विधवा / परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना" के अंतर्गत पात्र छात्राओं के आवेदन संलग्न चैक लिस्ट अनुसार पूर्ण कर दिनांक 15.12.2017 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाते हुवे यह भी सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी आवेदन में अंकित वर्ष का शुल्क पुनर्भरण पूर्व में नहीं हुवा है एवं किसी भी अभ्यर्थी को दोहरा आवेदन पत्र अग्रेषित नही करें । विलम्ब की स्थिति में यदि पात्र छात्राओं को शुल्क पुनर्भरण नहीं होने की स्थिति में संबधित संस्था प्रधान जिम्मेवार होगें।

इस संबध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत राशि का पुनर्भरण भामाशाह योजना प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तान्तरण की कार्यवाही की जानी है, अतः प्रत्येक आवेदक की संलग्न प्रपत्र में सूचना होने पर ही शुल्क पुनर्भरण की कार्यवाही जाएगी, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

उप निदेशक, 24/10/17
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर।

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)जयपुर।
2. सीस्टम एनालिस्ट,माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,बीकानेर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. पंजीयक,शिक्षा विभागीय परीक्षाऐं,राजस्थान,बीकानेर को देकर लेख है कि पत्र एवं संलग्न समस्त निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (डीएलएड) को मेल से भिजवाने की व्यवस्था करें।
4. समस्त प्रधानाचार्य,डाइट को देकर लेख है कि पत्र एवं संलग्नक जिले में संचालित निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं (डीएलएड) को उपलब्ध करवाते हुवे निर्धारित प्रपत्र एवं समयानुसार आवेदन इस कार्यालय को भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
5. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

उप निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

(4)

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना
आवेदन-पत्र वर्ष- 17-18

आवेदक का फोटो

1. आवेदक का नाम: ____________________
2. शिक्षक शिक्षण संस्था का नाम: ____________________
3. पाठ्यक्रम [बी.एस.टी.सी. (सामान्य / संस्कृत) / बी.एड. (सामान्य / संस्कृत)]: ____________________
4. पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ष: ____________________
5. विधवा अथवा परित्यक्ता: ____________________

नोट:

विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि तथा यह शपथ-पत्र संलग्न करें कि पुर्नविवाह नहीं किया है (शपथ-पत्र नोटरी द्वारा तस्दीक शुदा हो)।

परित्यक्ता होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रतिलिपि तथा यह शपथ-पत्र संलग्न करें कि पुर्नविवाह नहीं किया है (शपथ-पत्र नोटरी द्वारा तस्दीक शुदा हो)। मुस्लिम महिलाओं के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के अलावा अधिकृत काजी द्वारा जारी किया गया तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु तलाकनामे के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाम्प पेपर पर निष्पादित तथा नोटरी द्वारा तस्दीक शुदा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो तलाक को प्रमाणित करते हों।

(5)

सत्यापन

मैं, ______________________ (नाम) यह सत्यापित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनाएं सही हैं।

(हस्ताक्षर आवेदनकर्ता)

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ________________ (नाम) को इस संस्था में शैक्षिक वर्ष ______________ में ______________________ (पाठ्यक्रम का नाम) में प्रवेश दिया गया है। आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण संस्था के रिकार्ड के आधार पर सही है। अतः आवेदक को विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत फीस पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

(हस्ताक्षर)
(नाम, पदनाम तथा संस्था की सील)

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना

आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली अतिरिक्त सूचना

1. आवेदनकर्ता का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पति का नाम :
4. मोबाईल नं. :
5. निवास का पता :
   1. ग्राम का नाम
   2. ग्राम पंचायत
   3. पंचायत समिति का नाम
   4. विधानसभा क्षेत्र का नाम
6. आधार नामांकन संख्या :
   (छाया प्रति संलग्न करें)
7. भामाशाह कार्ड संख्या :
   1. ACKNOWLEDGEMENT ID
   2. FAMILY ID

   (छाया प्रति संलग्न करें)
8. बैंक खाते का विवरण :
   1. खाता संख्या
   2. बैंक का नाम
   3. बैंक शाखा का नाम
   4. IFSC कोड
   5. MICR कोड

   (पासबुक की छाया प्रति संलग्न करें)
9. बैंक खाते को आधार से लिंक कर लिया गया है ? :
   (यह किया जाना अनिवार्य है)

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि .... इस संस्थान में डी.एल.एड. सत्र 2017–18 में प्रथमवर्ष/द्वितीयवर्ष की नियमित प्रशिक्षणार्थी है तथा विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत शुल्क पुनर्भरण हेतु आवेदन अग्रेषित किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर मोहर सहित

विधवा /परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत बीएसटीसी में अध्ययनरत छात्राओं के भिजवाये जाने वाले आवेदन के संबध में चैक लिस्ट:--

1. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो
2. आवेदन संस्था प्रधान द्वारा अग्रेषित हो
3. आवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि छात्रा का प्रवेश किस वर्ष में हुवा है एवं वर्तमान में में किस सत्र में अध्ययनरत है।
4. शुल्क पुनर्भरण राशि का वर्ष
5. आधार कार्ड की प्रति
6. भामाशाह कार्ड की प्रति
7. अभ्यर्थी के बैंक पासबुक की प्रति जिसमें बैंक का नाम,आईएफस कोड सुपाठ्य हो।
8. विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यू प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति संलग्न करे,छाया प्रति मान्य नहीं होगी।
9. परित्यक्ता होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिकी संलग्न करें।
10. विधवा/परित्क्ता महिलाओं के पुर्नविवाह न करने का शपथ पत्र संलग्न करे, शपथ पत्र में पति के नाम का भी उल्लेख है। (शपथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित हो) शपथ पत्र में यह भी उल्लेख करें कि जिस वर्ष हेतु शुल्क पुनर्भरण का आवेदन किया जा रहा है,उसका पुनर्भरण पूर्व में नही हुवा है।
11. परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिकी के अलावा अधिकृत काजी द्वारा जारी किया गया तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु तलाकनामें के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाम्प पेपर पर निष्पादित तथा नोटेरी द्वारा तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करने होगे जो तलाक को प्रमाणित करते हो।
12. आवेदन के साथ कालेज आवंटन की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
13. द्वितीय वर्ष में अध्यनरत छात्राओं की प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
14. संस्था प्रधान यह सुनिश्चत करें कि छात्रा को पूर्व में जिस वर्ष हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका शुल्क पुर्नभरण नहीं हुवा है।
15. कालेज द्वारा लिये गये शुल्क की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
16. भामाशाह पोर्टल के माध्यम से लाभ हस्तान्तरण हेतु संलग्न प्रपत्र में सूचना अंकित करें।